

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-

संख्या-1/स्था0 (2) 01/ 2022-

459

/वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प

संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-03.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों, जिन्होंने दिनांक-01.01.2009 को अथवा इसके पश्चात् 20 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, को चार वर्ष की सम्पुष्ट सेवा के उपरांत पी0बी0-3+5400/- ग्रेड पे में स्वतः उत्क्रमण का लाभ देते हुए वेतन स्तर-11 में स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में सूची के स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	4 वर्ष की संपुष्ट सेवा के उपरान्त पे बैंड पी0बी0-3 एवं 5400 ग्रेड पे में उत्क्रमण की प्राप्ति तिथि/देय तिथि	7वाँ वेतन पुनरीक्षण में Level-11 की प्राप्ति तिथि	द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतन बैण्ड-3 ग्रेड वेतन-7600/- में देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार, परियोजना पदाधिकारी, फ़ोजेन सिमेन बैंक, बाँका।	01.01.2011	01.01.2016	01.01.2021
2	डॉ0 अनिता कुमारी, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, पटना सदर, पटना।	15.09.2012	01.01.2016	15.09.2022

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुमंजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 01/2022-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संगत सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 01/2022-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 01/2022-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 01/2022-

460

/पटना-15, दिनांक- 30/01/2025

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/संबंधित विशेष उप निदेशक, पशुपालन/संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक, पशुपालन/संबंधित परियोजना पदाधिकारी, पशुपालन/संबंधित सहायक निदेशक, पशुपालन/संबंधित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित पशु शल्य चिकित्सक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/01/25

सरकार के अवर सचिव।